

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. ग्राम: चमातु थाना: बालुमथ ,जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02.12.1994 एवं SO No.1384 दिनांक 10.5.2003

क. अकला लोहार पिता एतवा लोहार ग्राम: हैंचमातु, थाना सं: 56, (रेयती) खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 1280 , कुल रकवा 0.15 एकड़।

ख. बढ़न लोहार एवं भूनेश्वर लोहार पिता अकलु लोहार ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रेयती) खाता सं. 108 के अधीन प्लॉट सं. 1245/2703 एवं 442/2582 , कुल रकवा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903, रकवा 1.03 एकड़, कुल रकवा 1.48 एकड़ ।

कुल रेयती भूमि( क + ख ) = 1.63 एकड़ के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।

## 2. ऊपर उल्लेखित भूमि

क. ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत खाता स. 01, प्लॉट न. 1280 कुल रकवा रकबा 0.15 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रेयत अकला लोहार पिता एतवा लोहार है।

ख. ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत खाता स. 108, प्लॉट न. 1245/2703 और 442/2582, रकवा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903 , रकवा 1.03 एकड़, कुल रकवा 1.48 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रेयत बढ़न लोहार एवं भूनेश्वर लोहार पिता अकलु लोहार है

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु , थाना सं: 56 ; जिला :- लातेहार, (रेयती) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 1280 , रकबा 0.15 एकड़, (रेयती) खाता सं. 108 के अधीन प्लॉट सं. 1245/2703 और 442/2582 रकवा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903 , रकबा 1.03 एकड़ , कुल रकबा 1.63 एकड़ जो क्रमशः अकला लोहार पिता एतवा लोहार एवं बढ़न लोहार पिता अकलु लोहार, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।

(sd/-)

महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची